मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 27.01.2016 को आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) नया एल0पी0जी0 कनेक्शन :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि गैस एजेन्सी मालिकों द्वारा नये एल0पी0जी0 कनेक्शन में तय राशि से अधिक राशि लिया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी गैस एजेन्सी के काउन्टर पर नया कनेक्शन हेतु निर्धारित दर टंगवाने का निदेश दिया गया। नया कनेक्शन के साथ चुल्हा लेने के लिए दवाब नहीं देने का निदेश भी सभी गैस एजेन्सी मालिकों को दिया गया।

(2) व्यवसायिक गैस :-

जिलाधिकारी द्वारा जिले में व्यवसायिक गैस के खपत पर असंतोष व्यक्त की गयी एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के प्रखंड मुख्यालय बाजार/ग्रामीण बाजार/शहरी क्षेत्रों के होटल/रेस्टोरेन्ट/चाय-नास्ता की दुकान/प्रतिष्ठानों पर छापामारी करने एवं छापामारी का विडियोग्राफी कर विडियो को Whatsapp के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि छापामारी के दौरान होटल/ चाय-नास्ता की दुकानों में एल0पी0जी0 सिलेंण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन जप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। इसी क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि SupplyWatch करके Whatsapp ग्रुप उनके द्वारा बनाया है। जिस पर फोटो/विडियो अपलोड किये जाने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया है

इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया वे अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों की भी गहन छापामारी करना सुनिश्चित करें तथा छापामारी प्रतिवेदन उसी दिन संध्या 05:00 बजे अपराह्न तक Whatsapp पर अपलोड करेंगें तथा लिखित रूप से प्रतिवेदन भी भेजेगें।

छापामारी के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मुरलीगंज द्वारा 02 दूकान/होटल में जॉच कर प्रतिवेदन उपलबध कराया है। शेष प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक से छापामारी प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा छापामारी नही करने के संबध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला से स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।

(3) गैस सब्सिडी छोड़ने :-

जिलाधिकारी द्वारा गैस सब्सिडी छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या के बारे में पृच्छा की किये जाने, पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधिवत प्रतिवेदन सभी गैस एजेन्सियों से प्राप्त नही है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के मासिक प्रतिवेदन में Subsidy Give Up का कॉलम बनाकर रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(4) DBTL :-

जिलाधिकारी द्वारा DBTL का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि DBTL के तहत् गैस प्राप्ति एवं आपूर्ति में बहुत अन्तर है। जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी मालिकों को निदेश दिया गया कि जो ग्राहक जिले से बाहर रहते है, उनका कनेक्शन लॉक कर दिया जाए एवं पुनः जब वे आते हैं, तो कनेक्शन लॉक खोल दिया जाए, जिससे वास्तविक खपत का पता चल सके एवं गैस की किल्लत न हो सके। इससे संबंधित प्रतिवेदन सभी गैस एजेन्सी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देगें।

(5) किरासन तेल :-

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किरासन तेल की प्राप्ति एवं वितरण की जॉच की जाती है अथवा नहीं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किरासन तेल प्राप्ति एवं वितरण की जांच प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से नही आती है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को किरासन तेल प्राप्ति फोटो लेकर Whatsapp पर फोटो अपलोड करने तथा प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(6) पी0डी0एस0 :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एस0एफ0सी0 से चावल का उठाव विगत दस दिनों से नही हो रहा है। इस संबंध में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि चावल लोड हो रहा है। अतिरिक्त चावल हेतु मांग-पत्र संबंधित विभाग को भेजा गया है। जिला पदाधिकारी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसकी जाँच करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से स्टॉक मोनिटरिंग करें तथा स्टॉक खत्म होने के 20 दिनों के पहलें ही अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि स्टॉक में खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। साथ हीं यह भी निदेश दिया गया आगामी छहः माह का डिमांड भी एफ0 सी0 आई0 को भेजें। एफ0 सी0 आई0 से यदि कठिनाई होती है तो इसे जिला पदाधिकारी के संज्ञान में अविलम्ब लाया जाय। भविष्य में इस तरह की समस्या आने पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा सीधे जिम्मेवार माने जायेगें।

इसी क्रम में खाद्यान्न का उठाव हेतु ससमय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशि राज्य खाद्य निगम के खाते में जमा कराने के संबंध जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक आगामी महीने की राशि राज्य खाद्य निगम के खाते में जन वितरण प्रणाली विक्रेता से जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। अगर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं कि जाती है, तो इसके लिए बैंकों से बात करके डीलरों को ऑभर ड्राफ्ट करवाने का कार्रवाई किया गया। बकाया माह के लिए खाद्यान्न उठाव की राशि नही ली जायेगी, जिसे सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम सुनिश्चित करेगें। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद आगामी माह का खाद्यान्न उठाव की राशि एस0एफ0सी0खाते में जमा नहीं ली जायेगी। जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय राशि जमा नही करते है उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाय। इसमें चूक के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सीधे जिम्मेवार माने जायेगें।